फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

प्रार्थी सीताराम बनाम अप्रार्थीगण कानाराम व अन्य

केस संख्या /25 (2025/ online number) प्रार्थना पत्र अन्तर्गन्त धारा 212 आर.टी.एक्ट

नांक ज्ञा या र्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
7.2025	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने मय शपथ–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री कुलदीप किशोर शर्मा ने उपस्थित होकर बताया कि अप्रार्थीगणों को यदि अविलम्ब व्यादेश से पावंद नहीं किया गया तो इस प्रार्थना–पत्र का उद्ददेश्य विफल हो जाएगा। अतः अप्रार्थीगणों को बिना आवेदन की सूचना दिए एकपक्षीय सुनवाई कर व्यादेश जारी किया जावे। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया यह निर्धारण किया जाना संभव नहीं है कि विवादित भूमि की मौके कि वास्तविक स्थिति क्या हैं, अतः बिना गुणावगुण पर विचार किये ग्राम लसाडिया गुजरान प.ह. रामसर पालावाला तहसील बस्सी जयपुर की विवादित आराजी खसरा नम्बर 129/124 रकवा 5.4770 है० के संबंध में अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी दिनांक 21/07/2025 तक जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वे उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाऐ रखे। उपरोक्त खसरा नम्बर पर यदि पूर्व में कोई न्यायालय आदेश प्रभावी है तो उस आदेश की पालना पर कोई प्रभाव इस आदेश से नहीं होगा। इस आदेश की प्रति के साथ इस प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र की प्रति वाद पत्र की प्रति एवं सभी दस्तावेजों की प्रति जरिये रजि० डाक पत्र के अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी होकर इस आशय का प्रमाण पत्र एक दिवस में प्रस्तुत करें। नोटिस जारी होकर पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 21/07/2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बस्सी,जयपुर	
~~21/8/25~~	~~पत्रावली पेश हुई। P.O.सा दौरे/ कार्य में ... कार्य ... नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 18-9-25 को पेश हो~~	
21/07/25	पत्रावली पेश हुई। P.O.सा दौरे/ कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्य नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 21/08/25 को पेश हो।	
18/8/25	प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल के तलब होने से प्रार्थना प्रार्थना पत्र मि. पूर्व नियत तारीख पेशी से तलब होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल	सीताराम

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	एवं अस्थाई निषेधाज्ञा में प्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर हस्ताक्षर अंकित किये जिसकी पहचान प्रार्थी अधिवक्ता ने की। प्रार्थना नं. से संबंधित मूल के विक्रय होने से प्रार्थना पत्र अस्थाई के विरुद्ध आगे चलाने का कोई निषेधाज्ञा को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नं. सारहीन होने से खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा दिनांक 02/07/2025 को जारी अन्तरिम स्थगन आदेश सारहीन होने से निरस्त किया जाता है पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला-जयपुर

1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या– 104 /2025

सीताराम पुत्र श्रवण जाति गुर्जर, निवासी ग्राम लसाड़िया गुजरान, तहसील बस्सी जिला जयपुर, राजस्थान। –प्रा

बनाम

1. कानाराम पुत्र कालूराम
2. कुम्भकरण पुत्र श्रवण
3. ग्यारसीलाल पुत्र कालूराम
4. गिर्राज पुत्र घासी
5. गोपाली देवी पत्नी श्रवण
6. छोटा देवी पत्नी घासी
7. जगदीश पुत्र घासी
8. डालचन्द पुत्र श्रवण
9. प्रभूलाल पुत्र केशरा
10. बुद्धाराम पुत्र केशरा
11. मुकेश पुत्र बुद्धाराम
12. महेन्द्र पुत्र बहादूर
13. रामसिंह पुत्र बुद्धाराम